

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 जनवरी 2022—माघ 11, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-40-2018-1-पांच-(11).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-40-2018-1-पांच-(64) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-46-2019-1-पांच-(91) भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 सहपठित अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-40-2018-1-पांच-(14) भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2021, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-40-2018-1-पांच-(28), भोपाल, दिनांक 31 मई, 2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-40-2018-1-पांच-(70) भोपाल दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द “31 जनवरी, 2022” के स्थान पर अंक एवं शब्द “31 मई, 2022” प्रतिस्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-40-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-40-2018-1-पांच-(11), दिनांक 31 जनवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31<sup>st</sup> January 2022

No. F-A-3-40-2018-1-V (11).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 3-40-2018-1-V-(64) Bhopal, dated 27th September, 2019 and Notification No. F A 3-46-2019-1-V-(91) Bhopal, dated 29th November, 2019 read with Notification No. F A 3-40-2018-1-V-(14) Bhopal, dated 25th February, 2021, Notification No. F A 3-40-2018-1-V(28) Bhopal, dated 31st May, 2021 and Notification No. F A-3-40-2018-1-V(70) Bhopal, dated 29th October, 2021 namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure “31st January, 2022”, the word and figure “31st May, 2022” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.